भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/नियम/परिपत्र

अनुक्रमणिका

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं

क्रमांक	भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की धारा	विभागीय क्रमांक	राजपत्र दिनांक पृष्ठ क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1.	धारा 3 के खण्ड (ङ) के परन्तुक अनुसार किसी जिले में दस हजार से अनधिक किसी क्षेत्र के लिये किसी लोक प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये कलेक्टर समुचित सरकार है	क. एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2893	1
2.	(1) धारा 3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (vi) (अ) अनुसार भूमि अर्जन के लिए प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा	क. एफ 16–15–(2)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2893	1
	(2) धारा 3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (vi) (अ) द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रशासनिक व्यय प्रभारित करती है:– 1. राज्य शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त उपक्रम– प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत 2. पूर्वोक्त से भिन्न– प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत	(संशोधन)क. एफ 16–52–2018–सात–शा.2 दिनांक 20 मार्च, 2019 (16–15–(2)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014 अतिष्ठित)	29 मार्च, 2019 भाग 1 2094	7
3.	धारा 3 के खण्ड (थ) के उपखण्ड (दो) अनुसार "भूमिहीन" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसके लिए समनुदेशित है	क. एफ 16–15–(3)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2894	1–2
4.	धारा 44 की उपधारा (1) में समस्त संभागायुक्तों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवसीापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है	क. एफ 16–15–(10)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2894	2

5.	प्रथम अनुसूची के अनुकमांक 2 के कालम 3 सहपठित धारा 30 की उपधारा (2) में ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक) होगा	क. एफ 16–15–(9)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2894	2–3
6.	धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा, उन जिलों में, जहां किसी परियोजना के लिये भू–अर्जन के कारण व्यक्तियों के गैर–स्वैच्छिक विस्थापन की संभावना है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है	क. एफ 16–15–(8)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2895	3
7.	धारा 12 द्वारा कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करती है	क. एफ 16–15–(7)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2895	3–4
8.	धारा 10 की उपधारा (4) द्वारा किसी जिले में अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान उच्चतम शुद्ध बोए गये क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा	क. एफ 16–15–(6)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2896	4
9.	धारा 10 की उपधारा (2)द्वारा किसी जिले में समस्त परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान ऐसे क्षेत्र के उच्चतम से अधिक नहीं होगा	क. एफ 16–15–(5)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2896	4
10.	धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए, कलेक्टरों को उनके अपने–अपने जिले के भीतर प्रत्येक परियोजना के संबंध मं एक सात सदस्यीय पृथक विशेष समूह गठित करने हेतु प्राधिकृत करती है	क. एफ 16–15–(4)–2014–सात–शा.2ए दिनांक 29 सितम्बर, 2014	3 अक्टूबर, 2014 भाग 1 2897	5
11.	धारा 51 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 64 द्वारा समस्त वर्तमान जिला न्यायाधीशों (पदेन) को उनकी अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी अधिसूचित करती है	क. एफ 12–2–2014–सात–शा.2ए दिनांक 8 सितम्बर, 2016	9 सितम्बर, 2016 भाग 1 3418	8

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत समय–समय पर बनाये गये नियम/संशोधन

कमांक	विषय	राजस्व विभाग का कमांक	राजपत्र दिनांक पृष्ठ कमांक	पृष्ठ कमांक
1.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा 112 के नियम	एफ 12–2/2014/सात/2ए दिनांक 3 सितम्बर, 2015	4 सितम्बर, 2015 भाग 4(ग) 537 से 560	9–32
2.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा 112 के संशोधन नियम	एफ 12–2/2014/सात/2ए दिनांक 20 अक्टूबर, 2016	21 अक्टूबर, 2016 भाग 4(ग) 1096 से 1098	33–35

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत समय–समय पर जारी परिपत्र

कमांक	विषय/संक्षिप्त विवरण	विभागीय कमांक	पृष्ठ कमांक
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित भूमि अर्जन प्रकरणों में प्रशासनिक व्यय के संबंध में।	कमांक एफ. 16–04/2018/सात/शा.2 दिनांक 01 दिसम्बर, 2018	36
2.	भूमि अधिनियम, 1894 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षक निकाय यथा विभिन्न विभागों, उपकमों एवं कंपनियों आदि के लिये भूमि अर्जन के मामलों में प्रतिकर की अनुमानित राशि जमा कराने संबंधी निर्देश।	कमांक एफ. 16–52/2018/सात/शा.2 दिनांक 22 मार्च, 2019	37–39
3.	भूमि अधिनियम, 1894 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत भू–अर्जन प्रकरणों में प्रशासनिक व्यय की वसूली, बैंकों में जमा भू–अर्जन की राशि को जिला कोषालय के पी.डी. खाते में जमा करने बाबत।	कमांक एफ. 16–52/2018/सात/शा.2 दिनांक 22 मार्च, 2019	40–41
3.	प्रदेश में अति उच्चदाब पारेषण लाईन बिछाने के कारण निजी भूमिस्वामियों को देय प्रतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में।	कमांक एफ. 16–13/2017/सात/शा.2 दिनांक 01 अप्रैल, 2019	42–43

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(1)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the Collector shall be deemed to be the appropriate Government for the purpose of this Act, in respect of a public purpose in a district for an area not exceeding ten thousand hectares.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(2)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (vi) (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(2)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(2)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(2)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) (A) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, specifies that five percent of the cost of compensation shall be charged as administrative cost for acquisition of the land.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (थ) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि शब्द "भूमिहीन" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसके लिए समनुदेशित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(3)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(3)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (q) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, specifies that the "landless" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए.--भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त संभागायुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(10)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(10)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioners as the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement within their respective jurisdictions.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की प्रथम अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कालम 3 सहपठित धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक) होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(9)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(9)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by column no. 3 of serial no. 2 of the First Schedule read with sub-section (2) of Section 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that in case of rural areas, the factor by which the market value is to be multiplied shall be 1.00 (one).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कलक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा, उन जिलों में, जहां किसी परियोजना की बाबत्, भू-अर्जन के कारण व्यक्तियों के गैर-स्वैच्छिक विस्थापन की संभावना है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15(8)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints the Officer-in-Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector as Administrator for Rehabilitation and Resettlement, if there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land in respect of any project within the district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(7)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(No. 30 of 2013), the State Government, hereby, authorizes in each district, the Officer-in-Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector and his servants, workmen or any other person working under his direction, to carry into effect the provisions of Section 12 of the Act, within that district.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(6)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान उच्चतम शुद्ध बोए गए क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(6)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(6)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(6)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the area of agricultural land, in aggregate acquired for all projects in a district, shall in no case, exceed fifty per cent of the highest net sown area in a agricultural year during last ten years in that District.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(5)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में समस्त परियोजनाओं के लिये अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान ऐसे क्षेत्र के उच्चतम से अधिक नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(5)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(5)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(5)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the area of irrigated multi-cropped land, and aggregate acquired for all projects in a district, shall in no case, exceed the highest of such area in a agricultural year during last ten years in that District.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टरों को उनके अपने-अपने जिले के भीतर प्रत्येक परियोजना के संबंध में एक सात सदस्यीय पृथक् विशेषज्ञ समूह गठित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

(1) प्रत्येक विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अशासकीय सामाजिक विज्ञानी ;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में की ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगरपालिक निगम से कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होगी ;

(ग) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ ; तथा

(घ) अपेक्षक निकाय के परामर्श से कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट, परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ.

(2) कलक्टर, विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को समूह के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(4)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, authorises, the Collectors for constituting an Expert Group separately in respect of each project, having seven members, within their respective Districts for evaluating the Social Impact Assessment report;

(1) Each Expert Group shall consist of the following members :—

(a) two non official social scientists nominated by the Collector ;

(b) two representatives, one shall be a woman amongst them, of Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation nominated by the Collector from the affected area ;

(c) two experts on rehabilitation nominated by the Collector ; and

(d) a technical expert in the subject relating to the project nominated by the Collector in consultation with the requiring body.

(2) The Collector shall nominate a person from amongs the members of the expert group as a chairperson of the group.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील गोहद की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 (32 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्के क्रमांक 61 से 92 (32 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मौ का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 84 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय मौ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8-2013-सात-शा. 6., दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th September 2014

No. F 1-8-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil **Gohad** of District **Bhind** from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas) of Revenue Circle **Dehgaon** and create a new tehsil **Mau** by comprising of Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas) of Revenue Circle **Dehgaon** in which the total Patwari Halkas shall be 32 village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at **Mau**.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ग्वालियर जिले की तहसील ग्वालियर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 07 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 (8 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 (8 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील घाटीगांव का सृजन करती है, जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 95 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय घाटीगांव में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6, दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th September 2014

No. F 1-6-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil **Gwalior** of District **Gwalior** from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 01 to 07 (07 Patwari halkas) of Revenue Circle Rehat, Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Mohana, Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 23 to 31 (9 Patwari Halkas) of Revenue Circle Barai and create a new tehsil Ghatigaon by comprising of Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Rehat, Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Mohana, Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 22 to 31 (9 Patwari Halkas) of Revenue Circle Barai in which the total Patwari Halkas shall be 31 and village shall be 95. The headquarter of the said Tehsil shall be at Ghatigaon.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

क्र. एफ 16-52-2018-सात-शा.-2.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (vi) (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(2)2014-सात-शा.2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 3 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित हुई, को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि भूमि के अर्जन के लिए निम्नानुसार प्रशासनिक व्यय प्रभारित किया जायेगा:—

क्र. (1)	अपेक्षक निकाय (2)	प्रशासनिक व्यय (3)
1	राज्य शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त उपक्रम.	प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत
2	पूर्वोक्त से भिन्न	प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2019

क्र. एफ 16-52-2018-सात-शा. 2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-52-2018-सात-शा. 2., दिनांक 20 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 20th March 2019

No. F 16-52-2018-VII-Sec.2.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) (A) of clause (i) of Section 3 of the Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitaion and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) and in supersession of this department's notification F 16-15(2)-2014-VII-Sec.2A, dated 29th September, 2014 published in Madhya Pradesh Gazette Part-1 on 3rd October, 2014, the State Government hereby specifies that the following Administrative cost shall be charged for acquisition of the land:—

S. No. (1)	Requiring body (2)	Amount charged as Administrative cost (3)
1	All departments of State Government and Government of India and all undertakings of the State Government and the Government of India.	Two and a half percent of the cost of Compensation.
2	Other than aforesaid	Five percent of the cost of Compensation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-शाखा-2ए.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 51 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त वर्तमान जिला न्यायाधीशों (पदेन) को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपी गई अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी अधिसूचित करती है तथा ये उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधीन उन्हें किए गये निर्देशों या धारा 64 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किये गए आवेदनों को ग्रहण करने तथा विनिश्चय करने की अधिकारिता का भी प्रयोग करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-शा.2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के अधीन जारी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 8th September 2016

F-12-2-2014-VII-Sec.2A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 51 read with Section 64 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies all present District judges (ex-officio) as Presiding Officer for exercising the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under the said Act within their respective territorial jurisdiction and it shall also exercise jurisdiction for entertaining and deciding the references made to it under Section 64 or applications made by the applicant under second proviso to sub-section (1) of Section 64 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. SINGH, Principal Secy.

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. एफ ए 6-42-1995-1-पांच.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 6-42-1995-1-पांच (54), दिनांक 17 दिसम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 559, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित हुई है, की अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 10 के कॉलम (3) में वरिष्ठ निज सहायक का "वेतनमान—9300-34800+ग्रेड पे 3200" अंकित है, के स्थान पर "वेतनमान—9300-34800+ग्रेड पे 4200" प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

एफ. 12–2/2014/सात/2ए.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है जो उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013);

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत हैं इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप;

(ग) 'ग्रामीण क्षेत्र' से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र;

(घ) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ङ) 'नगरीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन नगरीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित क्षेत्र।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन.– (1) कलक्टर, प्रत्येक परियोजना के लिए सरकारी पदधारियों/या सामाजिक समाघात निर्धारण में स्रोत, भागीदारों और व्यवसाईयों की योग्य संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल (एस आई ए) का गठन करेगा और जहां वह आवश्यक समझता है, उन्हें दल की सहायता के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा, दल का प्रमुख डिप्टी कलक्टर की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का नहीं होगा, किन्तु वह कलक्टर के कार्यालय की भू–अर्जन शाखा का प्रभारी नहीं होगा।

(2) कलक्टर, अध्ययन की प्रकिया के दौरान दल के किसी भी सदस्य को बदल सकेगा।

(3) यदि किसी भी प्रकम पर यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के परिवार का कोई सदस्य अपेक्षक निकाय या परियोजना के अन्य पणधारी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य अयोग्य हो जाएगा।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए अधिसूचना.– कलक्टर, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अधीन इन नियमों में संलग्न प्ररूप–क में यथा उल्लिखित अधिसूचना जारी करेगा ।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.– (1) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सरकार को इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप–ख में, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्ररूप–ग के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए जन सुनवाई .– (1) जनसुनवाई, कलक्टर के विवेक पर एक या अधिक स्थानों पर आयोजित की जा सकेगी।

(2) सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप प्रभावित क्षेत्र में हिन्दी में पुस्तिका रूप में परिचालित किया जाएगा और यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर पालिक निगम तथा जिला कलक्टर के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराया जाएगा । सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के प्रारूप की एक प्रति अपेक्षक निकाय को भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(3) जन सुनवाई के पश्चात् सामाजिक समाघात निर्धारण दल प्राप्त फीडबैक तथा जन सभाओं में एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करेगा तथा सारांश को अपने विश्लेषण के साथ कलक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में समाहित करेगा ।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के साथ परामर्श, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (क्र. 40 सन् 1996) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

7. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा आंकलन.– अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और अपने गठन की तारीख से दो माह के भीतर तदर्थक अपनी अनुशंसाएं देगा।

8. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना और विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं का प्रकाशन.– सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना और विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं हिन्दी में तैयार कर संबंधित जिले की वेबसाइट में अपलोड करके प्रकाशित की जाएंगी और यथास्थिति, पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिक निगम और कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेटतथा तहसीलदार के कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे प्रकाशन की सूचना प्रभावित क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और प्रभावित क्षेत्र में किन्हीं दृश्यमान स्थलों पर चस्पा की जाएगी।

9. पूर्व सहमति अभिप्राप्त करना.— धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) कलक्टर प्ररूप—घ में सूचना जारी करेगा;

(ख) सूचना, यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सूचना पटल पर या नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका या नगर पालिक निगम के सूचना पटल पर तथा कलक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(ग) सहमति या असहमति प्ररूप—ङ में सूचित की जाएगी।

(घ) सहमति या अन्यथा की प्रस्तुति के लिए नियत समय के अवसान के बाद, कलक्टर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित सहमति प्राप्त हुई या नहीं, के संबंध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

10. प्रशासक की शक्ति, कर्तव्य और दायित्व.— प्रशासक निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा :—

(क) प्रभावित परिवारों की गणना और सर्वेक्षण का संचालन करना;

(ख) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करना;

(ग) नियम 9 में यथाविहित रीति में प्रारूप स्कीम को प्रकाशित करना;

(घ) प्रारूप स्कीम पर जन सुनवाई का आयोजन करना और संचालन करना;

(ङ) प्रारूप स्कीम पर सुझाव और टिप्पणी देने के लिए अपेक्षक निकाय को अवसर प्रदान करना;

(च) यथोचित रूप से उपांतरित प्रारूप स्कीम को अनुमोदन के लिए कलक्टर को प्रस्तुत करना;

(छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रकाशित करना;

(ज) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय तैयार करने में कलक्टर की सहायता और सहयोग करना;

(झ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका पर्यवेक्षण करना;

(ञ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन उपरांत अंकेक्षण (पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट) में सहयोग करना; और

(13)

(ट) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोई अन्य कार्य करना जिसका कि किया जाना अपेक्षित हो या जो कलक्टर द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

11. प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण तथा जनगणना.– (1) प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन या तो अपने स्वयं के कर्मचारिवृंद के द्वारा या किसी अन्य अभिकरण को बाह्यस्रोतों के माध्यम से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करवाएगा या जनगणना का जिम्मा लेगा । सर्वेक्षण और जनगणना का कार्य सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट और शासकीय अभिलेखों से संग्रहीत आंकड़ों के माध्यम से कराया जाएगा और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यकतानुसार मैदानी सर्वेक्षण के दौरान किया जाएगा ।

(2) जहां विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन चुनने का विकल्प उपलब्ध है वहां प्रभावित परिवार की सहमति परिवार के मुखिया से लिखित एवं हस्ताक्षरित कथन के रूप में सर्वेक्षण के दौरान अभिप्राप्त की जाएगी।

(3) यह कार्य प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जहां तक व्यावहारिक हो, तीस दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा। कलक्टर ऐसी अवधि जितनी वह ठीक समझे, बढ़ा सकेगा।

12. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार किया जाना.– (1) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक सर्वेक्षण पूर्ण होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा।

(2) जहां सहमति अंतर्ग्रस्त है, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन की स्कीम का प्रारूप प्रभावित परिवारों और अपेक्षक निकाय के बीच तय की गई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की शर्तों और निबंधनों को विचार में लेते हुए तैयार किया जाएगा।

(3) प्रशासक द्वारा तैयार किए गये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रारूप में, धारा 16 की उपधारा (2) में उल्लेखित विशिष्टियों के अतिरिक्त, सभी निर्माण कार्यों जिसमें स्कीम के अधीन किया जाने वाला अधोसंरचना विकास सम्मिलित हैं, को पूर्ण करने के लिए समय सीमा उपदर्शित की जाएगी ।

13. प्रशासक द्वारा जन सुनवाई.– (1) प्रशासक धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन जन सुनवाई के लिए स्थान, दिनांक एवं समय नियत करेगा।

(2) जन सुनवाई सभी ग्राम सभाओं में जहां भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित सदस्य पच्चीस प्रतिशत से अधिक हैं, संचालित की जाएगी :

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में जन सुनवाई संचालित की जाएगी।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान पंद्रह दिन पूर्व लोक अधिसूचना द्वारा सभी प्रभावित ग्रामों/नगर पालिकाओं/नगर पालिक निगम के प्रभावित वार्ड में उद्घोषित एवं प्रचारित की जाएगी और ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के वार्ड प्रतिनिधियों को सीधे संसूचित की जाएगी तथा जिले की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाएगी।

14. अपेक्षक निकाय द्वारा निक्षेप जमा कराया जाना.– अपेक्षक निकाय द्वारा अर्जन के खर्चे की अनुमानित राशि की पचास प्रतिशत राशि कलक्टर के पास जमा की जाएगी। यदि अपेक्षक निकाय इसे जमा करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जाएगी :

परन्तु यदि अपेक्षक निकाय राज्य सरकार है तो अनुमानित राशि कलक्टर की मांग के अनुसार जमा की जाएगी।

15. आधिक्य राशि की वसूली.– जहां धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन किए गये सुधार के परिणामस्वरूप यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति को अधिक राशि का भुगतान किया गया है, ऐसी भुगतान की गई आधिक्य राशि वापिस करने के दायित्वाधीन होगी और किसी व्यतिक्रम या भुगतान से इन्कार करने की दशा में ऐसी राशि भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी। ऐसी राशि की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अध्याय ग्यारह में यथाविहित प्रकिया और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

16. ग्राम सभा की पूर्व सहमति.– संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में, भूमि के अर्जन के सभी मामलों में संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्ररूप–च में अभिप्राप्त की जाएगी।

17 विकास योजना का स्वरूप.– अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अस्वेच्छिक विस्थापन के लिए विकास योजना धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन तैयार की जाएगी।

18 मिथ्या दावा करके प्राप्त किए गये लाभों की वसूली.– यदि मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधन के माध्यम से कोई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ प्राप्त किया जाता है तो यह वसूली के दायित्वाधीन होगा और उसके भुगतान से किसी इन्कार की दशा में यह भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाएगा । ऐसी राशि की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अध्याय ग्यारह में यथाविहित प्रकिया और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

(15)

प्ररूप–क

(नियम 4 देखिए)

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, संबंधित पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1) परियोजना विकासक का नाम

(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

(4) भूमि के विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(7) क्या ग्राम सभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

कलक्टर

जिला.....

प्ररूप–ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम
2. लोक प्रयोजन
3. स्थल
4. परियोजना का क्षेत्र
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया
6. परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
7. परियोजना निर्माण के चरण
8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
9. परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि
10. भूमि का मूल्य
11. प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार)
12. परिसम्पत्तियां–

    लोक सम्पत्ति– भूमि ..... भवन.....अन्य

    निजी सम्पत्ति– भूमि ..... भवन.....अन्य
13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

    जिनकी भूमि अर्जित हुई –

ग्राम/वार्ड	परिवारों की संख्या			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग

    जिनके मकान अर्जित हुए –

ग्राम/वार्ड	परिवारों की संख्या			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग

14. सामाजिक समाघात

    (क) समाघातों का विवरण

    (ख) समाघातों की संकेतक सूची
15. विकल्प जिन पर विचार किया गया

    (क) यदि हां – तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

    (ख) यदि नहीं – तो क्यों?
16. निष्कर्ष

(17)

प्ररूप–ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय –

(1) प्रभावित परिवारों की जीविका

(2) लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियॉं

(3) आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

(4) जल–मल निकासी एवं स्वच्छता

(5) पेयजल के स्रोत

(6) पशुओं के लिए जलस्रोत

(7) सामुदायिक तालाब

(8) जन सुविधाएं (जैसे– पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान)

(9) वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

(10) अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जन सुनवाइयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

प्ररूप–घ

(नियम 9 देखिए)

पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए प्ररूप

1. परियोजना का नाम
2. परियोजना का प्रयोजन
3. अनुमानित पूर्णता अवधि (महीनों में)
4. प्रभावित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण (ग्राम, ग्रामों की संख्या, वार्ड आदि)
5. परियोजना के लिए अपेक्षित अनुमानित भूमि
   (क) सरकारी भूमि,
      (एक) वन भूमि;
      (दो) गैर वन भूमि;
   (ख) निजी भूमि :
   (ग) निजी सम्पत्ति (भूमि से भिन्न)
   (घ) लोक सम्पत्ति (भूमि से भिन्न) :

6. प्रभावित परिवारों की संख्या (भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति के धारक)
7. प्रभावित परिवार द्वारा सहमति या सहमति से इन्कार प्ररूप–ङ में कलक्टर को दिनांक..... (दिनांक जो सूचना जारी किए जाने से 2 सप्ताह से कम की नही होनी चाहिए) या उसके पूर्व निम्न पते पर जमा कर प्रस्तुत की जाएगी :–

.....

.....

.....

(19)

प्ररूप–ङ

(नियम 9 देखिए)

सहमति या सहमति से इन्कार के लिए प्ररूप

मै.....आयु.....वर्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....निवासी..... ..... परियोजना ..... से निम्नानुसार प्रभावित हूँ :–

(क) मै प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में स्थावर सम्पत्ति का धारक हूँ

(ख) मै प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में किसी स्थावर सम्पत्ति का धारक नहीं हूं, किन्तु मैं प्रभावित परिवार हूं और मेरे निम्नानुसार अन्य हित हैं :–

.....

.....

.....

2. मै उपरोक्त परियोजना के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

अथवा

मैं निम्न कारणों से उपरोक्त परियोजना के लिए अपनी सहमति देने से इन्कार करता हूं :

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

प्ररूप–च

(नियम 16 देखिए)

ग्राम सभा संकल्प के लिए फार्मेट

हम, ग्राम सभा..... ग्राम पंचायत ..... तहसील.....जिला .....के अधोहस्ताक्षरकर्ता सदस्य प्रशासन और अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यह कथन करते हैं कि यह ग्राम सभा प्रस्तावित ..... परियोजना पर, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, सहमति/असहमति देती है;

(1) ..... हैक्टर निजी भूमि का अर्जन

(2) परियोजना के लिए ..... हैक्टर शासकीय भूमि का अंतरण; और

(3) परियोजना के लिए ..... हैक्टर वन भूमि का अंतरण

दिनांक

ग्राम सभा के सदस्यों के
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

दिनांक

संकल्प की प्राप्ति पर
पदाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

कमांक एफ. 12–2/2014/सात/2ए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना कमांक एफ. 12–2/2014/सात/2ए. दिनांक 3/9/2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 3rd September 2015

F. 12-2-2014-VII-2A.—
In exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby makes the following Rules, the same having been previously published as required by section 112 of the said Act, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015.

(2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013);

(b) 'Form' means forms appended to these rules;

(c) 'Rural Area' means the area other than urban area;

(d) 'Section' means the section of the Act;

(e) 'Urban Area' means the area defined as urban area under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Selection of the social impact assessment team.**- (1) The Collector shall constitute the Social Impact Assessment (SIA) team for each project from amongst Government officials/or qualified institutions in social impact assessment resource, partners and practitioners which may also be

appointed to assist the team where he feels necessary. The team leader shall not be below the rank of Deputy Collector but he shall not be in charge officer of the land acquisition section of the office of the Collector.

(2) The Collector may change any team member during the process of study.

(3) If, it is found at any stage that any team member or any family member of the team member receives any benefit directly or indirectly from the requiring body or any other stakeholder of the project, the said member shall be disqualified.

4. Notification for social impact assessment.- The Collector shall issue the Notification under section 4 of the Act, for carrying out the Social Impact Assessment Study as mentioned in Form-A appended to these rules.

5. Social impact assessment study.- (1) The social impact assessment study shall be conducted in accordance with sub-section (1) of section 4.

(2) The social impact assessment report shall be submitted to the Government in Form-B alongwith the Social Impact Management Plan in Form-C appended to these rules.

6. Public hearing for social impact assessment.- (1) Public hearings may be conducted at one or more places at the discretion of the Collector.

(2) The draft of social impact assessment report and the Social Impact Management Plan shall be circulated in the affected area in booklet form in Hindi language and shall be made available to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and also to the offices of the District Collector. A copy of the draft of social impact assessment report and the social impact management plan shall be provided to the requiring body.

(3) The social impact assessment team, after public hearing, shall analyse, the feedback recovery and information gathered in the public meetings and incorporate the gist alongwith their analysis in the social impact assessment report to be submitted to the Collector.

(23)

(4) Consultation with the Gram Sabhas in the Scheduled areas shall be in accordance with the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996)

7. Appraisal of social impact assessment report by an expert group.- The Expert Group constituted under sub-section (1) of section 7 of the Act shall evaluate the social impact assessment report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

8. Publication of social impact assessment report, social impact management plan and recommendations of expert group. - The social impact assessment report, social impact management plan and recommendations of expert group prepared in Hindi shall be published by way of uploading them in the website of district concerned and shall be made available to Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be and to the offices of the Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tahasildar, also the notice of such publication shall be publicized in two daily newspapers circulated in the affected area and also affixing at some conspicuous places in the affected area.

9. Obtaining prior consent.- For the purpose of obtaining prior consent of affected families as required under sub-section (2) of section 2,-

(a) Collector shall issue a notice in Form-D.

(b) The notice shall be displayed on the notice board of Gram Panchayat, Janpad Panchayat and Zila Panchayat for rural areas and notice board of Municipality or Municipal Corporation for urban areas, as the case may be and also on the notice board at the Collectorate.

(c) The consent or denial to consent shall be conveyed in Form-E.

(d) After expiry of the time for submission of consent or otherwise, Collector shall record his findings as to whether the requisite consent under sub-section (2) of section 2 of the Act has been received or not.

10. Power, duties and responsibilities of the administrator.- The Administrator shall exercise the powers and perform the duties and have the responsibilities as follows-

(a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families;

(b) to prepare a draft rehabilitation and resettlement scheme;

(c) to publish the draft scheme in same manner as prescribed in rule 9;

(d) to organize and conduct public hearings on the draft scheme;

(e) to provide an opportunity to the requiring body to make suggestions and comments on the draft scheme;

(f) to submit the modified draft scheme suitably to the Collector for approval;

(g) to publish the approved rehabilitation and resettlement scheme in the affected area;

(h) to help and assist the Collector in preparing the rehabilitation and resettlement award;

(i) to monitor and supervise the implementation of the rehabilitation and resettlement award;

(j) to assist in post-implementation audit of rehabilitation and resettlement; and

(k) any other work required to be done or assigned to him by the Collector for rehabilitation and resettlement.

11. Survey and census of affected families.- (1) Administrator, Rehabilitation and Resettlement under sub-section (1) of section 16 of the Act shall conduct a survey and undertake a census of the affected families either by his own staff or by out-sourcing from any agency. The survey and census work may be conducted by way of collecting data from the social impact assessment study report and Government records and verification of data as necessary during field survey.

(2) Where the option of choosing specific rehabilitation and resettlement entitlement is available, option of the affected families shall be obtained during the survey which shall be in the form of written statement signed by the Head of the affected family.

(3) This work shall be completed as far as practicable within a period of thirty days from the date of publication of the preliminary notification. The Collector may extend such period as he deems fit.

12. **Preparation of draft rehabilitation and resettlement scheme.-** (1) The Administrator Rehabilitation and Resettlement Scheme shall prepare the draft of rehabilitation and resettlement Scheme within a period of thirty days from the date of completion of survey.

(2) Where consent is involved, the draft of rehabilitation and resettlement scheme shall be prepared by taking into account the negotiated terms and conditions of rehabilitation and resettlement Scheme reached between the requiring body and the affected families.

(3) The draft of rehabilitation and resettlement Scheme prepared by the Administrator shall in addition to the particulars mentioned in sub-section (2) of section 16, indicate the time plan for completion of all construction works including the infrastructural developments to be provided as per the Scheme.

13. **Public hearing by administrator.-** (1) The Administrator shall fix a date, time and venue for public hearing under sub-section (5) of Section 16.

(2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas where more than twenty five percent of the members are directly or indirectly affected by the acquisition of the land:

Provided that the public hearing shall be conducted in each and every Gram Sabha in Scheduled Areas.

(3) The date and venue of the public hearing must be announced and publicized fifteen days in advance through public notifications in all the affected village/municipality/affected ward of Municipal Corporation and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the district.

14. **Deposits to be made by the requiring body.-** Fifty percent of the estimated amount of the cost of acquisition shall be deposited by the requiring body

with the Collector. If requiring body fails to deposit the same, no declaration shall be made under sub-section (2) of Section 19 of the Act:

Provided that if the requiring body is the State Government, the deposits of the estimated amount may be made as per demand of the Collector.

15. **Recovery of excess amount.**- Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made under sub-section (1) of Section 33, the excess amount so paid shall be liable to be refunded and in case of any default or refusal to pay, the said amount shall be recovered as an arrears of land revenue. The procedure for recovery of such amount shall be followed as prescribed in Chapter XI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and rules made thereunder.

16. **Prior consent of Gram Sabha.**- In all cases of acquisition of land in Scheduled Area under the Fifth Schedule of the Constitution, prior consent of the concerned Gram Sabha shall be obtained in Form-F.

17. **Form of development plan.**- The development plan for involuntary displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families in Scheduled Areas, under sub-section (4) of Section 41, shall be prepared.

18. **Recovery of benefits availed by making false claim.**- If any rehabilitation and re-settlement benefit is availed by making a false claim or through fraudulent means, it shall be liable to be recovered and in case of any refusal to pay the same, shall be recovered as an arrears of land revenue. The procedure for recovery of such amount shall be followed as prescribed in Chapter XI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and rules made thereunder.

FORM – A
(see rule 4)

The State Government intends to acquire the following lands in consultation with the concerned Panchayat / Municipality / Municipal Corporation, as the case may be, at village / ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study for public purpose. The study shall

be undertaken as per the provisions of section 4 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)

(1) Name of project developer :

(2) Purpose of proposed acquisition of land:

(3) Details of Social Impact Assessment team to undertake the study:

(4) Land details:-

(a) District
(b) Tehsil
(c) Village
(d) Total affected area
(e) Area to be acquired

(5) Brief description of the proposed project:

(6) The project area and the affected areas:

(7) Whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required?

(8) The date of completion of Social Impact Assessment

Collector

District .....

FORM – B

(see rule 5)

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT REPORT

1- Name of the Project
2- Public purpose
3- Location
4- Area of the Project
5- Alternatives considered
6- Background of the project, including developer's background and governance
7- Phases of project construction
8- Maps showing area of impact under the project
9- Total land requirement for the project.
10-Land prices
11-Number of families affected (according to clause (c) of Section 3 of the Act)
12-Properties-
Public property- land.....buildings.....other.....
private property- land.....buildings.....other.....
13-Number of families likely to be displaced

- Whose land acquired

village/ward	No. of families			
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Others	Total

- Whose house acquired

village/ward	Number of families			
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Others	Total

14-Social Impacts:

(a) Description of impacts

(b) Indicative list of impacts

15-Alternatives considered:

(a) If yes- why the present proposal is preferred

(b) If no- why?

16-Conclusion:

(29)

FORM-C
(See rule-5)

SOCIAL IMPACT MANAGEMENT PLAN

Ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact on:

(1) Livelihood of the affected families
(2) Public and community properties
(3) Assets and infrastructure particularly roads and public transport
(4) Drainage and sanitation
(5) Sources of drinking water
(6) Sources of water for cattles
(7) Community ponds
(8) Public utilities (such as post offices, fair price shops, electricity supply, health care facilities, schools, anganwadis, children parks and burial and cremation grounds)
(9) Measures that Requiring Body has stated it shall introduce in the Project Proposal
(10) Additional measures that Requiring Body has stated it shall undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings

FORM-D
(See rule-9)

FORM FOR SEEKING PRIOR CONSENT

(1) Name of the project

(2) Purpose of the project

(3) Estimated completion time (in months)

(4) Brief description of area affected (Village, Number of Village, Ward etc.):

(5) Estimated Land required for the project -

(a) Government land,

(i) Forest land;

(ii) Non-Forest land.

(b) Private land :

(c) Private property (other than land) :

(d) Public Property (other than land):

(6) Number of affected families (holders of land or other immovable property):

(7) The consent or refusal to consent by affected family shall be submitted in Form-E to the Collector on or before ..... (date which shall not be less than 2 weeks from the issue of this notice) by depositing at the following address .

.....

.....

.....

FORM-E
(See rule-9)

FORM FOR CONSENT OR DENIAL OF CONSENT

I .....,aged about .....years, son of ....., resident of ....., is affected from the ..... project as:-

(a) I am a holder of immovable property in the proposed project area;

(b) I do not hold any immovable property in the proposed project area but I am affected family and have other interests as

.....

.....

2. I express my consent for the above project.

or

I refuse to give my consent for the above project for t

.....

.....

Singnature

Name

Date :

FORM-F
(See rule-16)

FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION

We, the undersigned members of the Gram Sabha of _____within_____ Panchayat of _____ Tehsil in District _____, states that on the basis of information supplied by the administration and officials, this Gram Sabha, hereby certifies that it ***consents / *refuses to consent** to the proposed _____ project, which shall involve;

(1) acquisition of _____ hectares of private land;

(2) transfer of _____ hectares of Government land to the project; and

(3) transfer of _____ hectares of forest land to the project.

Date:

Signatures/thumb impressions of Gram Sabha members

Date:

Signature of Designated District Officer on receipt of the Resolution

N.B.- *-Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. SINGH, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(33)

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-12-2-2014-सात-2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, उक्त अधिनियम की धार 112 द्वारा अपेक्षित किए अनुसार दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को पूर्व में ही प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"19. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के लिए प्रक्रिया.—(1) (क) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्सथापन समिति पहली बैठक तब करेगी जब प्रशासक द्वारा "प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम" तैयार कर ली गई हो;

(ख) समिति स्कीम पर विचार-विमर्श करेगी और सुझाव तथा अनुशंसाएं करेगी और तत्पश्चात् समिति, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा और उसकी मानिटरिंग करेगी. कार्यान्वयन उपरान्त सामाजिक लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन से समिति तीन माह में एक बार बैठक करेगी.

(ग) समिति, प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकेगी और यदि वह ऐसी वांछा करे तो प्रभावित कुटुम्बों के साथ विचार-विमर्श कर सकेगी और पुनर्वासन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के लिये पुनर्वासन क्षेत्र का दौरा भी कर सकेगी.

(2) समिति के अशासकीय सदस्यों को, यदि कोई हों, राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा.

20. राज्य पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मॉनिटरिंग समिति की प्रक्रिया और इससे सम्बद्ध विशेषज्ञों के भत्ते.—(1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन गठित राज्य मानिटरिंग समिति अधिनियम की धारा 18 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा अनुमोदित उक्त स्कीमों के प्रकाशन के दो माह के भीतर परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मॉनिटरिंग करेगी और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मॉनिटरिंग करने के लिए तीन माह में एक बार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी.

(2) राज्य मॉनिटरिंग समिति से संबद्ध अशासकीय विशेषज्ञों को मुख्यालय से बाहर की यात्रा के लिए राज्य सरकार के प्रथम-श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा.

21. अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना.—(1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि, अपेक्षक निकाय द्वारा आधिपत्य लिए जाने की तारीख से किसी परियोजना की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट अवधि या पांच वर्ष तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अनुपयोजित रहती है तो उसे उस अपेक्षक निकाय को, जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी थी, सूचना जारी करके और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करके तथा इस प्रयोजन के लिए इस संबंध में कलक्टर द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके यथास्थिति मूल भू-धारी या भू-धारियों को या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को लौटा दिया जाएगा.

(2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, कलक्टर, यथास्थिति, मूल भू-धारी या भू-धारियों को या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को ऐसी भूमि के अर्जन के लिए उसे या उन्हें दिए गए प्रतिकर की राशि के बराबर राशि जमा करने का प्रस्ताव करेगा और ऐसी राशि सरकारी खजाने में भुगतान की जाने पर कलक्टर, यथास्थिति, मूल भू-धारी और भू-धारियों को या उनके विधि उत्तराधिकारियों को अर्जित भूमि की वापसी के संबंध में आदेश पारित करेगा.

(3) यदि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कलक्टर द्वारा दी गई अवधि के भीतर जो छह माह से अधिक की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, ऐसी राशि जमा करने से इंकार किया जाता है तो भूमि, भूमि-बैंक में रखी जाएगी.

(4) उपरोक्तानुसार लिखित आदेश पारित करने के पश्चात्, कलक्टर, अर्जित भूमि को यथास्थिति, मूल भू-धारी या भू-धारियों को या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को वापस करने के लिए या अधिनियम की धारा 101 में यथापरिभाषित भूमि-बैंक में रखने के लिए अपने कब्जे में लेगा.

(5) यदि अपेक्षक निकाय उक्त भूमि का कब्जा कलक्टर को नहीं सौंपता है तो कलक्टर, अपेक्षक निकाय को पूर्व सूचना देकर कब्जा लेने के लिए पुलिस बल की सहायता ले सकेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-12-2-2014-सात-2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्र. एफ-12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 20 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 20th October 2016

No. F. 12-2-2014-VII-2A—In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No.30 of 2013), the State Government, hereby makes the following amendments in the Right to Fair Compensation, and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 4th December, 2015 as required by Section 112 of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, after rule 18 the following rules shall be added, namely:—

19. **Procedure for Rehabilitation and Resettlement Committee**,— (1) (a) The Rehabilitation and Resettlement Committee shall have its first meeting when a draft of rehabilitation and resettlement Scheme has been prepared by the Administrator.

(b) The Committee shall discuss the scheme and make suggestions and recommendations and thereafter, the Committee shall meet, review and monitor the progress of rehabilitation and resettlement at least once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed. For the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months.

(c) The Committee may visit the affected area and discuss with the affected families if it so desires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.

(2) The non-official members of the committee, if any, shall get travelling and daily allowance at the rate admissible to the class-II Officers of the State Government.

20. **Procedure of State Monitoring committee for Rehabilitation and Resettlement and allowances of the experts associated with it.**— (1) The State Monitoring Committee constituted under Section 50 of the Act, shall review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement Schemes for the projects within two months of the publication of the said approved schemes by the Commissioner of the rehabilitation and resettlement under Section 18 of the Act and meeting of such Committee shall be held once in three months to review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes.

(2) The non-official experts associated with the state Monitoring Committee shall be paid travelling and daily allowance at the rate admissible to the class-I Officers of the State Government for journeys outside the headquarter.

21. **Return of unutilized land.**—(1) Where any land acquired under the Act, remains unutilized for a period specified for setting up of any project or a period of five years whichever is latter, from the date of taking over the possession by the requiring body, the same shall be returned to the original land holder or land holders or their legal heirs, as the case may be, by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing necessary order in writing by the Collector in this behalf for this purpose.

(2) Before passing any order, the Collector shall offer to the original land holder or land holders or their legal heirs, as the case may be, to deposit the same amount as it was paid him or them as the compensation for acquisition of such land and after paying such amount to Government Treasury, the Collector shall pass holder or land holders or their legal heirs, as the case may be.

(3) If such person or persons refuse to deposit such amount within the period given by the Collector, which shall not be more than six months but which may be extended for a period not exceeding one year, the land shall be kept in land bank.

(4) After passing the written order as above, the Collector shall take possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original land holder or land holders or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank as defined in Section 101 or the Act.

(5) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to the Collector, then the Collector may take help of police force to take the possession after giving prior notice to the Requiring Body.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
G. P. SHRIVASTAV, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 16-04/2018/सात/शा.2 भोपाल, दिनांक 01/12 नवम्बर, 2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय: राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित भूमि अर्जन प्रकरणों में प्रशासनिक व्यय के संबंध में ।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के मामलों में सर्विस चार्ज भू-अर्जन अवार्ड की 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) राशि होगी । प्रश्नाधीन प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व संबंधित विभाग/संस्था से अनुमानित अवार्ड की राशि का 2.5 प्रतिशत जमा कराया जाये तथा अंतिम अवार्ड पारित होने के उपरान्त सर्विस चार्ज की शेष राशि यथास्थिति विभाग/संस्था से वसूल की जाये । यह सर्विस चार्ज परिपत्र जारी किये जाने की दिनांक से लागू होगा तथा जिन प्रकरणों में दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक अंतिम अवार्ड पारित नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज ही देय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुजीबुर्रहमान खान) 1/12/18
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक .....नवम्बर, 2018

पृ0क्रमांक एफ. 16-04/2018/सात/शा.2
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. श्री युद्धवीर सिंह मलिक, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकर। पत्र क्रमांक DO No. NHAI/GM(LA)/Policy/AC/2017/1/10058 Dated, the 30th May, 2017. नई दिल्ली के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. प्रमुख राजस्व आयुक्त,मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव, 1/12/18
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 16–52/2018/सात/शा–2

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय– भोपाल।

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षक निकाय यथा विभिन्न विभागों, उपकमों एवं कंपनियों आदि के लिये भूमि अर्जन के मामलों में प्रतिकर की अनुमानित राशि जमा कराने संबंधी निर्देश।

संदर्भः– विभागीय ज्ञापन कमांक एफ 12–04/2013/सात/शा–2ए भोपाल, दिनांक 20 जून, 2013।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करते हुये "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ड़) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 16–15(1)–2014 दिनांक 29.09.2014 के अनुसार, जो कि राजपत्र में दिनांक 03.10.2014 को प्रकाशित है, किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के भूमि अर्जन के लिए कलेक्टर को समुचित सरकार अधिसूचित किया गया है।

2/ राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक एफ 12–04/2013/सात/शा–2ए भोपाल, दिनांक 20 जून, 2013 द्वारा विभिन्न विभागों, उपकमों एवं कंपनियों के लिए भूमि अर्जन के लिये जारी संदर्भित निर्देशों को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

(1) राज्य शासन के विभिन्न विभागों के लिए भूमि अर्जन के प्रस्तावों पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कलेक्टर अपनी संतुष्टि के लिए निम्न बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त करेंगें :–

(क) परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जन अपेक्षित है, की प्रशासकीय स्वीकृति (संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि परियोजना हेतु सक्षम स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही भूमि अर्जन के लिए आवेदन करें) ; तथा

(ख) प्रशासकीय स्वीकृति के साथ भूमि अर्जन के मामलों में अवार्ड की राशि के भुगतान के लिए आवश्यक बजट व्यवस्था।

उक्तानुसार संतुष्टि होने पर कलेक्टर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भूमि अर्जन की

कार्यवाही प्रारंभ करेंगें। भूमि अर्जन की कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पूर्व अपेक्षक निकाय (संबंधित विभाग) अनुमानित अवार्ड की 90 प्रतिशत राशि कलेक्टर के पी.डी. अकाउन्ट में जमा कराएगा। धारा 23 के अंतर्गत अवार्ड पारित होने के सात दिवस के भीतर शेष राशि जमा कराई जायेगी।

(2) राज्य शासन के विभिन्न उपक्रमों, केन्द्र सरकार के विभागों तथा केन्द्र सरकार के उपक्रमों के लिए भूमि अर्जन के प्रस्तावों पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कलेक्टर अपनी संतुष्टि के लिए निम्न बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे –

(क) परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को लोक प्रयोजन प्रतिपादित किए जाने संबंधी जानकारी ;

(ख) संबंधित उपक्रम के प्रशासकीय विभाग अथवा केन्द्र सरकार के विभाग का भूमि अर्जन के लिए आवेदन ; तथा

(ग) परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट व्यवस्था संबंधी जानकारी।

उक्तानुसार संतुष्टि होने पर कलेक्टर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करेंगें। राज्य शासन के विभिन्न उपक्रमों, केन्द्र सरकार के विभागों तथा केन्द्र सरकार के उपक्रमों के लिए भूमि अर्जन के प्रस्तावों पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व अपेक्षक निकाय, कलेक्टर द्वारा संधारित पी.डी. अकाउंट में भूमि के अर्जन के लिये अनुमानित अवार्ड की 90 प्रतिशत राशि जमा कराएगा। धारा 23 के अंतर्गत अवार्ड पारित होने के 7 दिवस के भीतर शेष राशि जमा कराई जायेगी।

(3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2), (3) के अंतर्गत लोक प्रयोजनार्थ पब्लिक प्राईवेट भागीदारी परियोजनाओं एवं लोक प्रयोजन के लिये प्राईवेट कंपनियों के लिये भूमि अर्जन के आवेदन पत्र के साथ कलेक्टर द्वारा संधारित पी.डी. अकाउंट में भूमि के अर्जन के लिये अनुमानित अवार्ड की 20 प्रतिशत राशि जमा कराई जाएगी। आवेदन पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कलेक्टर अपनी संतुष्टि के लिए निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगें :–

(क) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2) (ख) के परंतुक अनुसार धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ प्रभावित कुटुंबों की पूर्व सहमति प्राप्त की गई है।

(ख) धारा –11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक विभाग/कंपनी भूमि अर्जन के लिए आवेदन पत्र के साथ कलेक्टर द्वारा संधारित पी.डी.अकाउंट में अनुमानित अवार्ड की शेष 80 प्रतिशत राशि जमा कराएगा। धारा 23 के अंतर्गत अवार्ड पारित होने के सात दिवस के भीतर शेष राशि, अगर आवश्यक हो तो, जमा कराई जायेगी।

3/ विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 16–52/2018/सात/शा–2, दिनांक 20 मार्च, 2019 द्वारा निर्धारित प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित, राज्य शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग तथा भारत सरकार एवं

राज्य सरकार के समस्त उपक्रम के लिए प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत एवं उससे भिन्न अपेक्षक निकाय के लिए प्रतिकर की लागत का पॉच प्रतिशत, राशि भी भू–अर्जन आवेदन के साथ ही जमा करायी जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार।

(मुजीबुरहमान खान)
उप सचिव, 22/3/19
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,

पृष्ठांकन एफ 16–52/2018/सात/शा–2 भोपाल , दिनांक 22 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, कृपया विभाग एवं विभागाध्यक्ष की वेबसाईट पर अपलोड कराऐं।
2. आयुक्त भू–अभिलेख मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, कृपया राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर कार्यालयीन उपयोग हेतु 50 प्रतियां भेजे।

उप सचिव, 22/3/19
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-52/2018/सात-2 भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- भूमि अधिनियम 1894 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भू-अर्जन प्रकरणों में प्रशासनिक व्यय की वसूली, बैंकों में जमा भू-अर्जन की राशि को जिला कोषालय के पी.डी. खाते में जमा करने बाबत।

संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 86/98/ब-1/चार, दिनांक 14.01.1998, 57/2002/ब-1/चार, दिनांक 16.01.2002 तथा 617/2005/ब-1/चार दिनांक 04.08.2005
2. विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 03-04/2015/सात/शा-5 भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2015
3. विभागीय अधिसूचना/परिपत्र क्रमांक एफ16-52/2018/सात/शा.2 दिनांक 20 मार्च,2019
4. विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 16-04/2016/सात-2ए दिनांक 01.12.2018

------00------

विषयान्तर्गत संदर्भ क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित पत्रों से भू-अर्जन की राशि कोषालय पी.डी खाते में जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं तथा संदर्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आदेश से भू-अर्जन प्रकरणों में प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित राशि पुन: निर्धारित की गई है।

2/ यह प्रकाश में आया है कि शासन निर्देशों की अवहेलना में अभी भी कुछ जिलों द्वारा भू-अर्जन की राशि बैंकों के खातों में जमा रखी गई है। शासन के निर्देशों के विपरीत भू-अर्जन की राशि बैंक खातों में जमा रखना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

3/ कृपया भू-अर्जन से संबंधित राशियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

(1) भू-अर्जन से संबंधित समस्त राशियां कोषालयीन पी.डी. खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी जिले में भू-अर्जन की राशि जमा करने हेतु पी.डी. खाते का संचालन नहीं किया जा रहा है तो उन जिलों में तत्काल पी.डी. खाते खोलकर उनमें बैंकों में भू-अर्जन के पेटें जमा राशि (ब्याज सहित) तत्काल आहरित कर जमा की जाए। भू-अर्जन की राशि जमा किए जाने के लिए पी.डी. खाता खोलने के लिए पृथक से वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र द्वारा दिए गए निर्देशों को ही पी.डी. खाता खोलने की अनुमति माना जाये। यह निर्देश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

(2) भू-अर्जन से संबंधित पी.डी. खाता जिला स्तर पर संचालित होना चाहिए। यदि जिला कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारियों के नाम से अनुविभाग/तहसील स्तर पर कोई अन्य भू-अर्जन से संबंधित पी.डी. खाता प्रचलन में है, तो ऐसे खातों में जमा राशि जिला स्तर के पी.डी. खाते में अंतरित कर उन खातों को बंद कर दिया जाये।

(3) एक पी.डी. खाते में भू-अर्जन की एक से अधिक योजनाओं की राशि रखी जा सकती है। लेखांकन की दृष्टि से योजनावार पृथक-पृथक लेखा (लेजर) रखा जा सकता है जिससे कि योजनावार विवरण स्पष्ट रहे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 2019 के पूर्व भिजवायें।

4/ संदर्भ क्रमांक 3 एवं 4 में उल्लेखित अधिसूचना/परिपत्र से भू-अर्जन के प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित राशि निम्नानुसार पुनर्निधारित की गई है :-

क्र	**भू-अर्जन के लिए आवेदक**	**प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित राशि**
1	राज्य शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त उपक्रम	प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत
2	पूर्वोक्त से भिन्न अन्य अपेक्षक निकाय यथा- कम्पनी, निगमित निकाय, संस्था या कोई अन्य संगठन	प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत
3	राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रकरणों में (राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत)	प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत

प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित राशि लेखा शीर्ष 0029 {800}-अन्य प्राप्तियां-(0018) "भू-अर्जन से प्राप्त प्रशासनिक प्रक्रिया व्यय" के अंतर्गत जमा की जाये। एतदपर्यन्त प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित राशि किसी भी बैंक खाते अथवा पी.डी. खाते में जमा किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

5/ यह निर्देश वित्त विभाग द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 129/221/ब-5/19 दिनांक 13/03/2019 से दी गयी सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

(मुजीबुरहमान खान)
उप सचिव, 22/3/19
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-52/2018/सात/2 **भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2019**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. नियत्रंक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल कृपया राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

उप सचिव, 22/3/19
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।

4+92

क्रमांक एफ 16-13/2017/सात/2,

भोपाल, दिनांक 01/04/19

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश में अति उच्चदाब पारेषण लाईन बिछाने के कारण निजी भूमि स्वामियों को देय प्रतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में।

000

पारेषण लाईनों के निर्माण के लिए "राईट-ऑफ-वे" के अंतर्गत प्रभावित भूमि के उपयोग के संबंध में देय मुआवजा के आकलन करने के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3/7/2015-ट्रांस, दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 15.10.2015 के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 66 के.व्ही.या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि प्रतिपूर्ति के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक द्वारा 3283/2016/सात/2ए, दिनांक 11.5.2017 को एतद्द्वारा अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते है;-

(i) भूमि पर प्रवेश में हुई क्षति के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमिस्वामी को टॉवर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 85% (प्रतिशत) क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी।

(ii) विद्युत पारेषण लाईन के नीचे टॉवर के दोनों ओर के बाह्य तारों के बीच की चौडाई में स्थित भूमि के क्षेत्रफल (कॉरिडोर) के बाजार मूल्य(जिला कलेक्टर गाईड लाईन) की 15% (प्रतिशत) प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इस हेतु विभिन्न प्रकार की पारेषण लाईनों के बाह्य तारों के बीच की न्यूनतम चौडाई निम्नानुसार मानी जायेगी:-

स.क्र.	पारेषण लाईन का वोल्टेज एवं प्रकार	पारेषण लाईन के बाह्य तारों के बीच की चौडाई(मीटर में)
1	132 के.व्ही.डबल सर्किट	8 मीटर
2	132 के.व्ही.मल्टी सर्किट	10 मीटर
3	220 के.व्ही.डबल सर्किट	12 मीटर
4	220 के.व्ही.मल्टी सर्किट	13 मीटर
5	400 के.व्ही.सिंगल सर्किट(क्षैतिज विन्यास)	27 मीटर
6	400 के.व्ही. डबल सर्किट	20 मीटर
7	400 के.व्ही. मल्टी सर्किट	23 मीटर
8	+/- 500 के.व्ही.एचवीडीसी	29 मीटर

Scanned by CamScanner

9	765 के.व्ही.सिंगल सर्किट(क्षैतिज विन्यास)	36 मीटर
10	765 के.व्ही.डबल सर्किट	30 मीटर
11	+ 800 के.व्ही.एचवीडीसी	42 मीटर
12	1200 के.व्ही.	70 मीटर

(टीप - उपरोक्त सूची में उल्लेखित पारेषण लाईन के बाह्यता तारों की बीच की दूरी अथवा ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा टावर की डिजाइन के आधार पर निर्धारित बाह्यतम तारों के बीच की वास्तविक चौड़ाई में जो अधिक होगी, उसे प्रतिपूर्ति की राशि की गणना हेतु मान्य किया जायेगा।)

(iii) उपरोक्त दी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमि-स्वामी के नाम पर भूमि स्वामी के हक में दर्ज रहेगी।

(iv) किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिए प्रतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाईड लाईन) के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति उसके लिए प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाईड लाईन) के आधार पर देय होगी।

(v) यह परिपत्र केवल विद्युत पारेषण(Power Transmission Line) लाईन के लिए प्रभावी होगा। इसके अंतर्गत प्रतिपूर्ति विद्युत पारेषण लाईन((Power Transmission Line)के लिए देय होगी। इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन((Power Transmission Line) शामिल नहीं है।

यह परिपत्र जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुजीबुर्रहमान खान)
उप सचिव 1/4/19
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 01/04/19

क्रमांक एफ 16-13/2017/सात/2,

प्रतिलिपि,

1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उर्जा विभाग,मंत्रालय, भोपाल,
2 प्रमुख राजस्व आयुक्त, अरेरा हिल्स भोपाल,
3 आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव 1/4/19
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग